

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-57/2017 7632 /क० पटना, दिनांक 29/12/2017

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स बापना सीड्स, ऑफिस नं०-6,
द्वितीय तल, नूतन सूर्य प्रभा मेन्शन,
न्यू डाकबंगला रोड, पटना

विषय : बीज बिक्री नयी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए,कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....94/2017.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि 28.12.2020 तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

Handwritten signature
28/12/17

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 7632

/क०, पटना, दिनांक 29/12/2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई02टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature

Handwritten signature
28/12/17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स बापना सीड्स द्वारा राज्य में व्यवसाय किये जाने वाले बीजों की सूची :-

पत्रांक: 7632

दिनांक: 29.12.17

LIST OF SEED

SR.NO.	CROP NAME	VARIETIES
1	WHEAT	GW-366, GW-273, GW-496, GW-322, LOK-1, MP-3288, HI-1544, HI-8498, HI-8663, HI-8713, HI-2987, DL-788-2, PBW-2967, PBW-343, PBW-502, PBW-154, MALVI
2	PADDY	IR-64, IR-36, MTU-1010, MAHAMAYA, SWARNA, PB-01, PB-1121, BPT-5204
3	MAIZE	JM-12, JM-13, HQPM, HQPM-5, JPC-11
4	SOYBEN	JS-9560, JS-335, JS-9305, JS-2029
5	GRAM	VISHAL, JG-130, JG-11, JG-14
6	MOOG	PDM-139, GM-5, HUM-16, NUL-1, SSML-668, JM-721
7	URAD	TAU-9, TAU-1, NUL-7, GU-1
8	SESAMUM	GT-2, GT-3, GT-10
9	TUR	AASHA-119
10	PEA	P-14, JM-1
11	COWPEA	KASHI KANCHAN
12	DOLICHOS	KONKAN BHUSHAN
13	SPINACH	ALL GREEN
14	OKRA	ARKA ANAMIKA
15	ONION	N-53, AFLR
16	RADISH	MENU EARLY LONG, PUSA CHETKI LONG

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

रामेश

(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
28.12.17



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 94/2017 Date 29.12.2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स बापना सीड्स, is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business, ऑफिस नं०-6, द्वितीय तल, नूतन सूर्य प्रभा मेन्शन, न्यू डाकबंगला रोड, पटना
the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स बापना सीड्स, प्लॉट नं०-636, थाना नं०-14, खेसरा नं०-754 एवं 755, तोजी नं०-398, नियर आलोक पेट्रोल पम्प, पटना।	मेसर्स बापना सीड्स, ऑफिस नं०-6, द्वितीय तल, नूतन सूर्य प्रभा मेन्शन, न्यू डाकबंगला रोड, पटना
उत्तर - कृषि धन का गोदाम	उत्तर - नीज भवन मालिक
दक्षिण - सर्वे प्लॉट नं०-741, श्री उदय प्रसाद का परती जमीन	दक्षिण - सेंट्रल बैंक
पूरब - श्री सत्यनारायण प्रसाद का परती जमीन	पूरब - जगदीश भवन
पश्चिम - सर्वे प्लॉट नं०-757, रामचन्द्र धानुक का परती जमीन	पश्चिम - यू०पी०टी० वाईजर कन्सल्टेन्सी

Date : 29.12.2017

Seal :

Arjun
28.12.17
Licensing Authority
Director of Agriculture
BIHAR PATNA

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
- The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
- This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 28.12.2020
Unless previously cancelled or suspended. *(Twenty eight Dec. Two thousand twenty)*
- The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
- The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
- Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).

Arjun
28.12.17